

18/12
24

प्रार्थी एवं उनके आधिकारिता अनुपासिता।
आधिकारिता एवं प्रार्थी को उपस्थित होकर
पैरवी हेतु न्यायालय समय में तीन बार
अलग-अलग आवाज लगाई गई, बावजूद
सूचना अनुपासित रहे। अतः प्रार्थी का
प्रार्थना पत्र अदम पैरवी एवं अदम धजरी
में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय
शुमार होकर नंबर से कम हो और दारिद्र्य
दफतर हो। जिला कलक्टर
बाड़मेर

